तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोपाल चौहान बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 65 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल चौहान पुत्र मोहनलाल चौहान पता प्लॉट नं. 555, ज्योतिनगर चांदणा भाखर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.03.2018 में उसके द्वारा (1) प्रकरण सम्पर्क संख्या 1016285966591 को कलेक्टर सा0 द्वारा हुई जनसुनवाई में संबंधित प्रकरण की समस्त प्रोसिंडिग के एवं प्रकरण की सुनवाई में निगम के अतिक्रमण निरीक्षक मोहन जी व्यास के संदर्भ दिये आदेश की पालना के क्रम में हुई कार्यवाही की समस्त पत्रावली की छाया प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम) एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष(अपर कलक्टर प्रथम) से जरिये पत्रांक 574 दिनांक 04.05.18 तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क कलक्टर कार्यालय जोधपुर से जरिये पत्रांक 5443 दिनांक 07.05.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई हुई। लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि प्रभारी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क प्रकोष्ठ के वेब पोर्टल पर उपलब्ध 41 पृष्ठो, की सूचना दिनांक 24.04.2018 को व्यक्तिशः निःशुल्क उपलब करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी अपील में जाहिर करता है कि उसे जो सूचना दी गई वो अधुरी है, परन्तु अधुरी सूचना कैसे देय है, स्पष्ट नहीं किया गया। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है अतः अपील अस्वीकार अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार की जाती है आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	2

Scanned with CamScanner